भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्नभ सं.2112
(15 मार्च, 2022 को उत्त र दिए जाने के लिए)

प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम में बदलाव

†2112. श्री जगन्नाथ सरकार:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) की लागत बंगाल में 60:40 के अनुपात में साझा की जाती है और बंगाल की राज्य सरकार ने योजना का नाम बदलकर ''बांग्ला आवास योजना'' कर दिया है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने इसका नाम बदलने के विरोध में कोई कदम उठाया है और यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या राज्य में योजना के मानदंडों का पालन नहीं किया जा रहा है और अनियमितताओं के मामले सामने आए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने योजना का लाभ प्राप्त नहीं करने वाले मूल लाभार्थियों के मुद्दे की जांच के लिए एक समिति गठित की है और यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ड.) क्या जिन मूल लाभार्थियों को लाभ नहीं मिला है , उन्हें पीएमएवाई का सीधे लाभ प्रदान करने का कोई अन्य तरीका है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तार
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) से (ड.): प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत निधियां केंद्र और पश्चिम बंगाल राज्य के बीच 60:40 के अनुपात में वहन की जाती हैं। पश्चिम बंगाल राज्य में पीएमएवाई-जी को बांग्ला आवास योजना नाम दिए जाने के संदर्भ में मंत्रालय में

अनेक पत्र प्राप्त हुए हैं। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने यह जानकारी देते हुए इन आरोपों का उत्तर दिया है कि राज्य सरकार प्रत्येक मकान में सूचना बोर्ड सहित कार्यक्रम से संबंधित सभी दिशा-निर्देशों का सख्ती से अनुपालन कर रही है तथा मकानों पर पीएमएवाई-जी का लोगो और डिस्प्ले बोर्ड दर्शाने वाले फोटोग्राफ भेजे हैं। मंत्रालय ने अपने राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं (एनएलएम) द्वारा क्षेत्रीय निरीक्षण के माध्यम से मामले के तथ्यों की जांच करने का भी निर्णय लिया है।

माननीय संसद सदस्यों , पश्चिम बंगाल के विधायकों और आम जनता द्वारा सूचित अनियमितताओं के मामलों को टिप्पणियों और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार के समक्ष उठाया जाता है। मंत्रालय के अधिकारी भी क्षेत्रीय निरीक्षण करने के लिए नियमित दौरा करते हैं।

यदि पीएमएवाई-जी की स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) से किसी पात्र परिवार के नाम को गलत तरीके से हटा दिया जाता है तो , ऐसे पात्र परिवार को मामला-दर-मामला आधार पर सूची में फिर से शामिल करने का प्रावधान भी है।

*****